

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1984/चैत्र 29, 1906
No. 185] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1984/CHAITRA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य संत्रासय

(वस्त्र विभाग)

पटसन डायकृत का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 18 अप्रैल, 1984

का.आ. 312(अ).—अनूज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश, 1981 के खण्ड 8 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एम. पी. मल्लिक, पटसन डायकृत
एतद्द्वारा बी. ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की जिसकी साइज $44\frac{1}{4}'' \times 26\frac{1}{2}''$
सामय वजन सिला किनारा $44\frac{1}{4}'' \times 26\frac{1}{2}''$ गिला $2\frac{1}{4}$ पोण्ड प्रति बोरा, 6×8 ,

3-नीले दाष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. संस्था भा. मा. (2566-1965 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माण द्वारा कीमत 757.80 रुपए प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं। इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय अप्रैल 1984 महीने के दौरान किया जाएगा।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई कीमत में उत्पादन शुल्क और विक्रय कर सम्मिलित नहीं; जिसकी संदायकता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त करना होगा।

[फाइल सं. 8/3/84-जूट]

एस. पी. मल्लिक, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

NOTIFICATION

Calcutta, the 18th April, 1984

S.O. 312(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, S.P. Mallik, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 757.80 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. I wills (a variety of jute textiles) of the size 44-1/4" x 26-1/2" Hd. W.I.P. 44" x 26-1/2" Hd. 2-1/4 lbs. per bag, 6 x 8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566-1965 as amended upto-date) shall be purchased or sold during the month of April, 1984.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8/3/84-Jute]

S. P. MALLIK, Jute Commissioner